

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ /18, दिनांक 12 जुलाई-2018,

--: आदेश :-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-1320/18 दिनांक 04.07.2018 द्वारा दिनांक 17.07.2018 से 20.07.2018 तक के लिए झॉसी पीठ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, झॉसी पीठ (न्याय0) व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 नोएडा (वि0) की खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 नोएडा द्वारा दिनांक 17.07.18 को झॉसी में गठित खंड पीठ में भाग लेने हेतु अपने पारिवारिक कारणों वश असमर्थता व्यक्त करते हुए पुर्नविचार पत्र दिनांक 11.07.18 का ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक 17.07.18 (एक दिन के लिए) गठित खंड पीठ को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। सदस्य पीठ-2 नोएडा द्वारा की गयी प्रार्थना पर सम्यक विचारोपरान्त झॉसी में गठित उक्त खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 17.07.18 (एक दिन के लिए) गठित खंड पीठ निरस्त की जाती है तथा दिनांक 17.07.18 को नियत वादों की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 21.07.18 के लिए झॉसी में खंड पीठ गठित की जाती है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0-12.07.18

(विकार अहमद अन्सारी)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन) 1464 /2018, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, झॉसी पीठ झॉसी।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय नोएडा।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।